रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

सं॰ 212] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 1986/ज्येष्ठ 8, 1908
No. 212] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 1986/JYAISTHA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं. 56/85—88

नई दिल्ली, 29 मई, 1986

का. आ. 307(अ).—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस. ओ. 151(ई), दिनांक पहली अप्रैल, 1986 के अधीन प्रकाशित

खुले सामान्य लाइसेंस स. 1/86, दिनांक 1 अप्रैल, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यानी :—

उपर्युक्त अधिसूचना में, शर्त संख्या (14) में, "लकड़ी की लुगदी" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

[फाइल सं. आईपीसी/3/17/85/खंड-2]

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

टिप्पणी :—मूल आदेश सं. एस. आ. 151(ई), दिनांक 1 अप्रैल, 1986 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF COMMERCE

## IMPORT TRADE CONTROL

## ORDER NO. 56|85-88

New Delhi, the 29th May, 1986

S.O. 307(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendments in the Open General Licence Number 1|86, dated the 1st April, 1986, published under the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No S.O. 151(E) dated the 1st April, 1986, namely :—

In the said Notification, in condition number (14), the words "Wood pulp", shall be deleted.

[File No. IPC|3|17|85|Vol. II]

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

NOTE : The principal Order was published vide Numbers S.O. 151 dated the 1st April, 1986.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986